न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चूरू (राज0)
पीठासीन अधिकारी :– सुश्री श्वेता कोचर आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या	किस्म मुकदमा	दायर दिनांक	फैसल दिनांक
02/2018	111,128 LRA	08.02.2018	01.03.2019

नोरंगलाल पुत्र पूराराम जाति जाट निवासी वार्ड नं. 5, बीनासर तहसील वा जिला चूरू
–प्रार्थी–

बनाम

1. गोपीराम पुत्र अर्जुनराम जाति जाट निवासी वार्ड नं. 5, बीनासर तहसील वा जिला चूरू (राज0)
2. मोहनराम पुत्र अर्जुनराम जाति जाट निवासी वार्ड नं. 5, बीनासर तहसील वा जिला चूरू (राज0)
3. शाखा प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक बीनासर तहसील जिला चूरू
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, चूरू

–अप्रार्थीगण–

उपस्थितः– 1. अधिवक्ता श्री शिवगौतम सोलंकी प्रार्थी
2. अधिवक्ता श्री महेन्द्रसिंह न्यौल अप्रार्थी सं. 1 व 2

प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कृषि भूमि ख.नं. 01 तादादी 9.9780 हैक्टेयर (39 बीघा 08 विश्वा) व ख.नं. 124 तादादी 2.7822 हैक्टेयर (11 बीघा) कुल किता 2 कुल तादादी 12.7602 हैक्टेयर रोही बीनासर तह0 व जिला चूरू प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी एवं कब्जा काश्त है। प्रमाणित प्रति जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 शामिल प्रार्थना पत्र है। यह कि वादी के दादा टोडाराम की खातेदारी आई थी। टोडाराम के 2 पुत्र थे जिसका कुर्सीनामा नीचे लिखे अनुसार हैः– स्वर्गीय टोडाराम के दो पुत्र पूराराम व अर्जुनराम हुए। पूराराम (फौत) का वारिस प्रार्थी नोरंगराम है तथा अर्जुनराम (फौत) के वारिस गोपीराम व मोहनराम पुत्रगण हैं जो अप्रार्थी सं. 1 व 2 हैं। इस प्रकार टोडाराम के दो वारिस हो गये जिस कारण उक्त विवादित कृषि भूमि दोनों पुत्रों में विभाजित हो गई जिसका खाता अलग विभाजन होकर स्वयं प्रार्थी के नाम ख.नं. 1 व 124 हिस्से पांती में आये जिसके प्रमाण स्वरूप जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 हाजा प्रार्थना पत्र के साथ पेश है।

उप खण्ड अधिकारी
चूरू

प्रार्थी के दादा टोडाराम के दो पुत्रों के बीच बंटवारा हुआ जिसके अनुसार टोडाराम के वारिस प्रार्थी नोरंगराम के हिस्से पांती में उक्त भूमि आई थी और उक्त भूमि में सींव पुख्ता थी मगर अर्जुनराम के वारिसों ने उक्त सींव को काटकर छिन्न–भिन्न कर दी जिससे प्रार्थी की भूमि पर जोर जबरदस्ती से अतिक्रमण कर नई सींव कायम कर ली है। इस कारण प्रार्थी की कृषि भूमि की पूर्वी व उत्तर पूर्वी दिशा पर अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 ने सींव को काटकर नई सींव कायम करना चाहते हैं। जिसका विरोध प्रार्थी ने किया तो कहा कि उक्त भूमि मेरी खातेदारी में है मगर अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 इसे मानने से स्पष्ट इन्कार हो गये। इसलिए उक्त विविध प्रार्थना पत्र अदालत मातहत में पेश किया जा रहा है जो कि सीमा का सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी करवाई जाये जिससे प्रार्थी अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के बीच सीमा सम्बन्धी विवाद समाप्त हो सके। प्रार्थी द्वारा सीमा ज्ञान के लिए एक प्रार्थना पत्र श्रीमान् तहसीलदार महोदय, चूरू को दिया गया था। प्रार्थी की कृषि भूमि का सीमा ज्ञान करके पटवारी हल्का बीनासर द्वारा रिपोर्ट पेश की गई जिसमें प्रार्थी की भूमि कम पाई गई।

यह कि प्रार्थी एक सभ्य भोला भाला किसान है जिसका कृषि भूमि का विभाजन हो गया है मगर मौके पर प्रार्थी अप्रार्थीगण के बीच की कृषि भूमि की सीमा नष्ट व जर्जर हालत में है और खेत की सीमा को लेकर हर समय गम्भीर विवाद रहता है इसलिए प्रार्थी के लिए सीमा ज्ञान आवश्यक हो गया है कि खेत ख.नं. 01 तादादी 9.9780 हैक्टेयर (39 बीघा 08 विश्वा) व ख.नं. 124 तादादी 2.7822 हैक्टेयर (11 बीघा) कुल किता 2 कुल तादादी 12.7602 हैक्टेयर रोही बीनासर तह0 व जिला चूरू का सही सीमा ज्ञान करवा कर पुख्ता चिन्ह (पत्थरगढ़ी) लगाने के लिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। यह कि प्रार्थी को जरूरी हो गया है कि वह अपने खेत का पुख्ता सीमाज्ञान (पत्थरगढी) करवाना चाहता है जिससे आगे भविष्य में आस–पड़ौसी से कोई भूमि सीमा ज्ञान सम्बन्धित विवाद ना रहे। यह कि प्रार्थी नोरंगराम द्वारा कृषि भूमि रहन होने के कारण उक्त भूमि अप्रार्थी सं. 3 पंजाब नेशनल बैंक शाखा बीनासर को पक्षकार बनाया गया है। यह कि सभी प्रकिया तहसीलदार के माध्यम से होनी है जिस कारण राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बतौर अप्रार्थी सं. 4 बनाया गया है। यह कि प्रार्थी पत्थरगढी व सीमाज्ञान के लिए निर्धारित फीस व खर्चा वहन करने के लिए तैयार है तथा जब भी अदालतवाला आदेश करेंगे तो आवश्यक फीस जमा करवा दी जावेगी। यह कि विवादित कृषि भूमि श्रीमान् जी के क्षेत्राधिकार में स्थित होने के कारण अदालतवाला को प्रार्थना पत्र हाजा के श्रवणाधिकार प्राप्त हैं तथा प्रार्थना पत्र उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है। यह कि अन्य तथ्य वर वक्त बहस अर्ज किये जावेंगे।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे एवं खेत ख.नं. 01 तादादी 9.9780 हैक्टेयर (39 बीघा 08 विश्वा) व ख.नं. 124 तादादी 2.7822 हैक्टेयर (11 बीघा) कुल किता 2 कुल तादादी 12.7602 हैक्टेयर रोही बीनासर तह0 व जिला चूरू का सीमाज्ञान करवाया जाकर पुख्ता सीमा चिन्ह (पत्थरगढी) करवाई जावे।

उप खण्ड अधिकारी

प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की जरिए सम्मन तलबी की गई जिस पर अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से श्री महेन्द्रसिंह न्यौल एडवोकेट एवं अप्रार्थी सं. 3 की ओर से श्री नरेन्द्रसिंह राठौड़ एडवोकेट ने वकालतनामे पेश किये। अप्रार्थी सं. 1, 2 व 3 की ओर से दिनांक 18.06.2018 को जवाब प्रार्थना पत्र पेश किये जो शामिल मिसल किये गये।

अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि मद सं. 1 में जिस प्रकार से लिखी गई है इन्कार नहीं है जो राजस्व रिकार्ड से साबित की जानी है कब्जा प्रार्थी को साबित करना है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित तथ्य आंशिक रूप से स्वीकार हैं वा हिस्सा पांती राजस्व रिकार्ड से साबित होनी है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 अस्वीकार की जाती है। प्रार्थीगण का विभाजन पैमाईश के समय से ही है वा प्रार्थी नोरंगलाल के बीच की सींव भी वर्तमान में पिछले 50 वर्षों से यथावत है हमारा कभी भी सीमा का विवाद नहीं रहा है ना ही कभी हम अप्रार्थीगण को ऐसी बात कही है प्रार्थी नोरंगलाल पढा लिखा व्यक्ति है वा अप्रार्थीगण अनपढ़ भेड़ बकरी चराने वाले व्यक्ति हैं जिसे परेशान करने के उद्देश्य से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। अप्रार्थी संख्या एक गोपीराम तो प्रार्थी का पड़ौसी भी नहीं है वा मात्र परेशान करने के लिए ही उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान् जी के समक्ष पेश किया है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 अस्वीकार है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को कभी भी सीमा ज्ञान करवाने की बात नहीं बताई ना ही सीमा ज्ञान आदि किया है जिसका अप्रार्थीगण को कोई जानकारी नहीं है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 में लिखे तथ्य अस्वीकार हैं। प्रार्थी नोरंगलाल रिटायर्ड कर्मचारी है वा चतुर व चालाक व्यक्ति है जो झगड़ालू किस्म का व्यक्ति है जिसने अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 को परेशान करने के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जो निराधार होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। नोरंगलाल ने अपने अन्य पड़ौसियों को पक्षकार नहीं बनाया वा मात्र अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 को परेशान करने के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जबकि पक्षकारों के बीच सीमा चिन्ह पिछले 50 वर्ष पुराने हैं।

यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 6 अस्वीकार है। प्रार्थी नोरंगलाल का गोपीराम पड़ौसी नहीं है इसके बाववजूद इसे पक्षकार बनाया है वा अन्य पड़ौसी जो आवश्यक पक्षकार थे जिसे पत्थरगढी के लिए पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था उन्हें पक्षकार नहीं बनाया है अन्य पक्षकारों को सूचना दिये बिना ही बाला बाला ही पत्थरगढी करवाना चाहता है प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र सही नियत से पेश नहीं किया है वा न्यायालय को गुमराह कर पत्थरगढी का आदेश करवाना चाहता है इसलिए यह प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 7 से 10 का जवाब दिया जाना आवश्यक नहीं है। यह कि प्रार्थी नोरंगलाल ने यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण को परेशान करने के लिए पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे वा अप्रार्थीगण को हैरानी व परेशानी का हर्जा खर्चा दिलवाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी

अप्रार्थी सं. 3 बैंक की ओर से जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 1 में वादगत भूमि राजस्व रिकार्ड के अनुसार है। मद सं. 1 से 6 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। मद सं. 7 के अनुसार प्रार्थी की उक्त भूमि पंजाब नेशनल बैंक बीनासर के के.सी.सी. ऋण की प्रत्याभूति के रूप में रहन है। मद सं. 8 से 10 कानूनी होने से जवाब तलब नहीं है खुलासा विशेष कथन में किया जावेगा। विशेष कथन में अंकित किया कि प्रार्थना पत्र में कृषि भूमि जवाबदाता पंजाब नेशनल बैंक बीनासर के किसान केडिट कार्ड ऋण की प्रत्याभूति में रहन रखी हुई है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 व 2 जो कि एक ही दावा में पेश वंश वृक्ष के अनुसार एक ही परिवार के सदस्य हैं जो बैंक की बकाया ऋण राशि वसूली प्रभावित करने की मंशा से साजिशपूर्वक यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। यह कि प्रार्थना पत्र में अंकित उक्त भूमि जवाबदाता के रहन रखी हुई है जिसका सीमाज्ञान करवाया जाकर सीमा पर पुख्ता सीमा चिन्ह (पत्थरगढी) दावा अनुसार करवाई जाती है तो जवाबदाता बैंक का समस्त हित सुरक्षित रखते हुए सम्बन्धित रहनकर्ता बाबत समुचित आदेश पारित किया जावे ताकि बैंक की पब्लिक मनी सुरक्षित रहे व जो भी बैंक के ऋण सम्बन्धित अधिकार हैं वो आदेश में सुरक्षित रखते हुए आदेश पारित किया जावे। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी बैंक की हद तक प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण एक ही परिवार के सदस्य रहे हैं। पूर्व में उक्त वादगत कृषि भूमि संयुक्त खातेदारी की रही है बाद में खाता विभाजन होकर अलग खाते कायम हो गये। प्रार्थी व अप्रार्थीगण के खेतों के मध्य स्थित सींव को अप्रार्थीगण ने जबरन काट कर नष्ट कर दिया एवं वर्तमान में काश्त के समय उक्त सींव को लेकर विवाद बना रहता है जिसके स्थाई निपटारे के लिए प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र पेश किया है ताकि भविष्य में सींव को लेकर कोई विवाद नहीं रहे। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर सीमा ज्ञान व पुख्ता पत्थरगढी के आदेश जारी किये जावें। प्रार्थी नियमानुसार निर्धारित शुल्क वहन करने को तैयार है। वकील अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी सं. 1 को अनावश्यक रूप से पक्षकार बनाया है क्योंकि अप्रार्थी सं. 1 प्रार्थी का पड़ौसी नहीं है तथा खेत के अन्य पड़ौसी खातेदारों को, जो कि पत्थरगढी के इस प्रार्थना पत्र के आवश्यक पक्षकार थे, पक्षकार नहीं बनाया है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य कभी भी सीमा सम्बन्धी विवाद नहीं रहा है। इसलिए अनावश्यक पक्षकार बनाया जाने एवं आवश्यक पक्षकारों के अभाव में प्रार्थी की ओर से पेश यह निराधार प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे। वकील प्रार्थी ने पुनः कथन किया कि प्रार्थी का सीमा विवाद केवल अप्रार्थीगण से ही रहा है अन्य पड़ौसियों से कोई विवाद नहीं है। इसलिए केवल अप्रार्थीगण को ही पक्षकार बनाया गया है तथा अप्रार्थी सं. 1 व 2 के खेत एक ही खसरे के दो हिस्से होने से गोपीराम को पक्षकार बनाया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली पर पेश दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 ग्राम बीनासर के ख.नं. 1, 124 तादादी क्रमशः 9.9780, 2.7822 हैक्टेयर में प्रार्थी नोरंगलाल पुत्र पूराराम जाति जाट निवासी बीनासर खातेदार दर्ज है एवं सम्पूर्ण कृषि भूमि पंजाब नेशनल बैंक बीनासर के रहन दर्ज है। उपरोक्त जमाबन्दी के अवलोकन से यह बात स्पष्ट है कि वादगत कृषि भूमि प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि है तथा नियमानुसार प्रार्थी को सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी कराने का अधिकार है। प्रकरण में अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने अपने जवाब में प्रार्थी के साथ किसी प्रकार का सीमा सम्बन्धी विवाद नहीं होने का उल्लेख किया है परन्तु ऐसा कोई तथ्य या दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाया जाना उचित नहीं हो। हालांकि प्रार्थी ने अपने खेत के अन्य पड़ौसी खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया है जिसका कारण उसने अन्य पड़ौसियों के साथ कोई विवाद नहीं होना बताया है। प्रार्थी का सीमा विवाद केवल प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 व 2 के खेत के मध्य स्थित सींव को लेकर ही होना बताया गया है। अप्रार्थी सं. 3 रहनकर्ता बैंक के खिलाफ इस प्रार्थना पत्र में कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। इसलिए प्रथम दृष्टया प्रार्थी का प्रार्थना पत्र उचित प्रतीत होता है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से खातेदारों के अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नहीं है तथा न ही किसी प्रकार के अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। उक्त प्रार्थना पत्र केवल अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करवाने बाबत है जिसको स्वीकार किये जाने से किसी भी पक्षकार को कोई हानि होने की सम्भावना प्रतीत नहीं होती है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए न्याय के नैसर्गिक सिद्वान्त के मध्यनजर प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, चूरू को आदेश दिये जाते हैं कि रोही बीनासर तहसील चूरू के खसरा ख.नं. 1, 124 तादादी क्रमशः 9.9780, 2.7822 हैक्टेयर कुल तादादी 12.7602 एवं अप्रार्थी सं. 1 व 2 के खातेदारी खसरा भूमियों की नपती हेतु प्रार्थीगण से नियमानुसार निर्धारित शुल्क जमा करवाया जाकर सम्बन्धित पटवारी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक की टीम गठित कर उभयपक्ष की उपस्थिति में केन्द्र बिन्दु कायम करते हुए विधिवत पैमाईश एवं पत्थरगढी करावें।

आदेश आज दिनांक 01.03.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुली अदालत में सुनाया गया।

(श्वेता कोचर)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

उप खण्ड अधिकारी
चूरू